न्याय शुल्क जमा ... माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर ...

83

20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

5 रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

निग / 2809 / II / 15

राजस्व निगरानी प्रकरण कमांक ..../ 2015–16

1– खेतई अहिर उम्र 76 साल तनय चिन्ता अहिर पेशा खेती निवासी ग्राम परसवार तहसील बहरी जिला सीधी म0प्र0

2– ज्ञानेन्द्र कुमार यदव पिता रामप्रताप यादव पिता रामप्रताप यादव उम्र 28 साल निवासी ग्राम भरूही तहसील बहरी जिला सीधी म0प्र0

3– सुरेश प्रसाद यादव तनय बुद्धसेन यादव उम्र 22 साल पेशा खेती निवासी ग्राम भरूही तहसील बहरी जिला सीधी म0प्र0.........

निगरानीकर्ता / आवेदकगण

बनाम,

1– श्यामलाल यादव तनय खेतई यादव उम्र 45 साल पेशा खेती निवासी ग्राम भरूही तहसील बहरी जिला सीधी म0प्र0

2– मध्यप्रदेश शासन .... अनावेदकगण

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोपदबनास / सिहावल द्वारा प्रकरण कमांक–43 / अ–74 / 14–15 मे पारित आदेश दिनाक 17.8.2015, जिसके द्वारा अनावेदक कमांक–1 के शिकायती आवेदन पर आवेदक कमांक–1 के पक्ष में पारित व्यवस्थापन आदेश दिनांक 61 / अ–19(2) / 83–84 मे पारित आदेश दिनाक 30.8.84 को स्वयमेव निगरानी में लिये जाने हेतु कलेक्टर सीधी की न्यायालय को प्रकरण सम्प्रेषित करने का आदेश दिया गया है, को निरस्त किये जाने हेतु ।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

प्रकरण के तथ्य

1– यहकि ग्राम भरूही तहसील सिहावल वर्तमान तहसील बहरी जिला सीधी में स्थित भूमि पुराना खसरा कमांक 149 रकवा 0.6. एकड़ मध्यप्रदेश राज्य के स्वत्व की राजस्व ग्राम की भूमि थी जिसमे आवेदक कमांक–1 खेतई

(Handwritten margin notes:)
... यादव पुत्र ... खेतई अहिर निवासी ... भरूही तह. बहरी जिला ... मृत ... दिनांक 28-8-18 ... अनुसार ...
दिनांक 25-8-15 को श्री विनोद भार्गव अभि. ... द्वारा प्रस्तुत / ... 25-8-15

विनोद भार्गव एडवोकेट ग्वालियर 25-08-2015

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक–निगरानी–2809–दो / 2015 जिला–सीधी

खेतई अहिर (मृतक) वारिसान–चन्द्रभान यादव विरूद्ध श्यामलाल यादव व म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
06–03–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री आर.डी. शर्मा अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास / सिहाबल, जिला–सीधी के प्रकरण क्रमांक 43 / अ–74 / 2014–15 में पारित आदेश दिनांक 17–08–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–सीधी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 03–05–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य 6/3/19	